संख्या: 39 / 2022 / 1593 ई-2/तेरह-2022- 1654275

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।

आबकारअनुभाग-2 **लखनऊःदिनांकः13 सितम्बर, 2022**

विषय- मेसर्स ट्रू वाटर बेवरेजेज, खसरा नं.442, ग्राम बढीवाला, गोरधनपुर, जिला-मुजफ्फरनगर को 60 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की अनाज पर आधारित मिश्रित (पेय/औद्योगिक) आसवनी स्थापित किये जाने के सम्बन्ध।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: जी -207 / दो-प्रा.डी.-45 / ट्रू वाटर **ब्रेवरीज दिनांक 29-08-2022 एवं इसी** सम्बन्ध **में अपर मुख्य सचिव आबकारी विभाग की अध्यक्षता में आहूत समिति की बैठक दिनांक 06-09-2022 के निर्गत कार्यवृत्त संख्या:-1567ई-2/तेरह-2022-1654275 दिनांक 08-09-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।**

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव व संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित में मेसर्स ट्रू वाटर बेवरेजेज, खसरा नं. 442, ग्राम बढीवाला, गोरधनपुर, जनपद मुजफ्फरनगर को 60 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 210 लाख लीटर अधिष्ठापित क्षमता की अनाज पर आधारित आसवनी जिसमें 15 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् 52.50 लाख लीटर वार्षिक अनाज से ई.एन.ए. पेय मदिरा निर्माण हेतु एवं 45 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् 157.50 लाख लीटर वार्षिक अब्सोल्यूट अल्कोहल, एस.डी.एस. का निर्माण एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है:-

1. इकाई द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

3. इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए अल्कोहल उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. इकाई द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय से प्रदत्त इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स में ग्रेन से 45 कि.ली. प्रतिदिन एथनॉल एवं 15 कि.ली. प्रतिदिन ई.एन.ए. उत्पादन हेतु संशोधन के लिये आवेदन दिनांक 18.08.2022 को किया जा चुका है, जिसे उनके द्वारा पी.डी.-33 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने से पूर्व आयुक्तालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**